
क्रम संख्या—084 प्राप्ति कृष्टि में प्रवास क्षाप्तिक क्रिक्ट (लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०-30/03



## सरकारा गजट. उत्तरावल

## उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0 ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तराचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 183 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003 देहरादून, 27 मई, 2003

> ीव विकास मिना विकास अधिस्चना गाउँ विकास विकास विकास के क्षेत्रकार है। कार्या के सरकार थे विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 अप्रैल, 2003 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 02, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। (1) प्राचन संप्रकार इस साभा में आये बताय

उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम सं0 02, वर्ष 2003)

उत्तरांचल में मछली पालन की व्यवस्था करने के लिये एक अधिनियम उत्तरांचल राज्य में मछली पालन की व्यवस्था तथा तद्सम्बन्धी विषयों के लिए भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

#### मान कि के विकित कि कि एकी विश्वितयम कर के कर कि तहीं

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

privile & frame you real;

All of the first best by they are farmered and sell of he (a)

- (2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
- (3) यह राज्य सरकार के सरकारी गजट में विज्ञापित होने के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

परिमाषाएं

- 2. इस अधिनियम में जब तक कोई अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (1) "मछली" का तात्पर्य मछली, शैल फिश, फिन फिश, कछुआ, पानी में उगने वाले ऐसे पौघे जो मछली पालने के लिये महत्वपूर्ण हैं और मछली के जीवन काल की प्रत्येक अवस्था की मछली सम्मिलित हैं;
- (2) "फिशिंग क्राफ्ट" का तात्पर्य मानव चालित या इंजिन चालित नाव से हैं जो मछली शिकारमाही या मछली यातायात के उपयोग में लाया जाय;
- (3) "शिकारमाही उपकरण" का तात्पर्य मछली पकड़ने के जाल, कांटे की लाइन, रौड लाइन, शिकारमाही यंत्रों से हैं;
- (4) "मछली पकड़ने का अपराध" का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन दण्डनीय हो;
- (5) "मत्स्य पदाधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार ने इस अधिनियम के समस्त या किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये या कोई ऐसा काम करने के लिये नियुक्त किया हो, जिसके करने का इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन आदेश हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, जो पद में सब इन्सपेक्टर से निम्न पद हो, इस प्रकार नियुक्त न किया जायेगा;
- (6) "स्थिर इंजिन" का तात्पर्य किसी ऐसे जाल, पिंजड़े वंसी (फंदा) या मछली पकड़ने के किसी ऐसे उपकरण से हैं, जिसे भूमि में लगाया गया हो या जिसे किसी अन्य प्रकार से स्थिर कर दिया गया हो;
- (7) "निजी जलाशय" का तात्पर्य किसी ऐसे जलाशय से है, जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था की एकांकी सम्पत्ति हो या जिसमें किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था या सिमिति को मछली पकड़ने का स्वामी, पट्टेदार या किसी अन्य रूप में एकाधिकार प्राप्त हो और इसमें ऐसे तालाब, पौंड, प्राकृतिक कृत्रिम झील आदि भी सिम्मिलित हैं, जिन्हें उनके स्वामी ने अपने व्यय से खुदवाया हो और जिनमें वर्षा ऋतु में नैसर्गिक पानी अर्थात् निदयों, नहरों, धाराओं और झीलों का पानी न आता हो;
  - (8) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;
- (9) मत्स्य अभ्यारण्य/संरक्षित जल स्रोत का तात्पर्य उन जल स्रोतों के सन्दर्भ में है जिनमें किसी भी कारणवश मछली का शिकार करना प्रतिबन्धित है। ऐसे सभी जल स्रोतों को मत्स्य जैव विविधता के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया जाए।
- 3. (1) राज्य सरकार इस घारा में आगे बताये गये प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है और ऐसे नियमों के अधीन यह घोषणा करेगी कि किन जलाशयों के सम्बन्ध में यह सब नियम या इनमें से लागू होंगे।
- (2) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे नियम या इनमें से किसी को किसी निजी जलाशय पर उसके स्वामी और उन सब व्यक्तियों की लिखित स्वीकृति से लागू कर सकती है जिनका उस समय उसमें से मछितयां पकड़ने का अधिकार हो या यदि राज्य सरकार को इस बात का संतोष हो जाय कि स्वीकृति बिना उचित कारण के रोक ली गई है, तो बिना उनकी स्वीकृति के भी लागू कर सकती है।
  - (3) ऐसे नियम-
    - (क) नीचे लिखी हुई सब बातों या उनमें से किसी बात को निषिद्ध या नियमित कर सकते हैं, अर्थात्—

नियमों द्वारा चुने हुये जलाशयों में मछली मारने पर लाइसेंस लगाना और उसका निषेध करना



- (1) स्थिर इंजिनों को लगाना और चलाना,
- (2) जल प्रबन्धन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा नदी नालों में निर्मित चैक डेमों का स्वामित्व सम्बन्धित विभागों का होगा किन्तु मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन का अधिकार मत्स्य पालन विभाग में निहित होगा। इन चैक डेमों में मत्स्य पालन एवं संग्रहण के लिए मत्स्य विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीण सहायता समूहों या मत्स्य सहकारी समितियों को पट्टे पर दिए जाने का प्राविधान होगा,
  - (3) जालों का नाम, प्रकार और जाल के फंदे या मछली पकड़ने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले किसी अन्य उपकरण का आकार और उनको उपयोग में लाने का ढंग:
  - (ख) लाइसेंस के बिना मछली पकड़ने का निषेध करना, ऐसे लाइसेंस दिये जाने की विधि निर्धारित करना, उनके लिये शुल्क नियत करना और जिन प्रतिबन्धों के साथ वह दिये जायेंगे उनको नियत करना;
  - (ग) बन्दूक, बर्छी, धनुष और बाण या उसी प्रकार के हथियारों द्वारा मछली मारना या मारने का प्रयत्न करना, जलाशय को विषैला करना या कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलाशय गंदा करना;
  - (घ) ऋतुएं निर्घारित करना, जिनमें कि विशेष प्रकार की छोटी या बड़ी मछली या उनके अंडे पकड़ने, मारने, बेचने का निषेध होगा;
  - (ङ) कम से कम माप तौल निर्घारित करना जिससे कम की किसी निर्घारित प्रकार की कोई मछली मारी या बेची न जायेगी;
  - (च) किसी निर्दिष्ट जलाशय में नियत अविध के लिये मछली पकड़ने का निषेध करना;
  - (छ) किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के बाहर मछलियों के निर्यात और उस मूल्य की व्यवस्था करना जिस पर सब या किसी विशेष प्रकार की मछलियां निर्दिष्ट मण्डियों में खरीदी या बेची जा सकती हैं;
  - (ज) किसी तालाब या झील के स्वामी, साधि बन्धक ग्राही या पट्टेदार को यह आदेश देना कि वह ऐसे तालाब, झील में किस प्रकार या प्रकारों की मछलियां इकठ्ठा करें;
- (झ) प्रजनन काल में नदी नालों एवं अन्य प्रजनन स्थलों में प्राकृतिक प्रजनन हेतु मत्स्य दोहन निषेध रहेगा। निजी क्षेत्र में हैचरी बनवाने हेतु विभाग द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;
- (ञ) प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का प्रावधान किया जाएगा;
- (ट) मत्स्य जीवी वर्ग जिसमें बंगाली, आदिवासी, मछुवा, निषाद, कश्यप समाज आदि भी सम्मिलित हैं, के लिए मात्स्यिकी प्रशिक्षण के साथ—साथ मछली पालन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा;
  - (ठ) मछली पालन व्यवसाय की उन्नित एवं मत्स्य कृषकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा संघ या समिति स्थापित करके प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;
    - (ड) विभाग प्रगतिशील कृषकों को निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु समय—समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे—बैंक ऋण, तालाब निर्माण, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराएगा;
    - (द) मछली बाजार को नियंत्रित करना, मछली का प्रसंस्करण एवं मछली उत्पादों का क्रय एवं उपयोग को नियंत्रित करना;

- (ण) निर्दिष्ट स्थानों में मछली पकड़ने के उपकरणों का संग्रह नियंत्रित करना:
- (त) निर्दिष्ट स्थानों में सब या विशेष मछली प्रजाति या मछली उत्पादन प्रजाति का यातायात आवश्यकतानुसार नियंत्रित करना।

#### रिकार ऐसे नियम, अन्य बातें- जीता कान्य प्राप्त

- (क) राज्य से मछली या मत्स्य उत्पाद के आयात तथा निर्यात के लिये मांग निर्धारित करना:
- (ख) मत्स्य अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मत्स्य आयात, निर्यात या यातायात का निषेध करना अन्यथा शर्तें निर्धारित करना;
- (ग) लाइसेंस के प्रारूप, फार्म निर्घारित करना;
  - (घ) निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत मछली के परीक्षण का अधिकार।
- (4) इस घारा के अन्तर्गत किसी नियम के बनाने में राज्य सरकार नीचे लिखी हुई बातों की व्यवस्था कर सकती हैं :-
  - (क) किसी ऐसे उपकरण को छीन लेना, हटा देना और जब्त कर लेना, जो नियमों के विरुद्ध मछली पकड़ने के लिये स्थापित किया या उपयोग में लाया गया हो;
  - (ख) किसी ऐसे उपकरण द्वारा पकड़ी हुई किसी मछली को जब्त कर लेना; और
  - (ग) मछिलयों की किसी ऐसी पेटी को जब्त करना, जहां नियम का उल्लंघन करके किसी के पास हो या कहीं भेजी जा रही हो।
- (5) इस अधिनियम के अधीन कृत समस्त नियमों, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जो की जा सकेगी, को राज्य विधान सभा के समक्ष जब यह एक सत्र या अनुवर्ती कई सत्रों के तारतम्य में चौदह दिनों की विस्तारित कुल अविध के लिये सत्र में है, रखी जायेगी और जब तक कोई पश्चातवर्ती तिथि न नियत की जाय उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ऐसे उपान्तरणें या शून्यीकरण जैसा विधायिका करने को सहमत हो, के अध्यधीन प्रभाविता ग्रहण करेगी, इसलिये, हालांकि, ऐसा कोई उपान्तरण या शून्यीकरण उसके अधीन पूर्व में कृत किसी कार्य की वैधता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना होगी।

मछलियों की बिक्री को निषेघ करने का अधिकार 4. राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञिप्त द्वारा यह निषेध कर सकती है कि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जायें, कोई ऐसी मछली बिक्री या अदला—बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंधन करके पकड़ी गई हो।

दण्ड

- 5. धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंधन करने पर जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति निकाली गई हो, नीचे लिखा हुआ दण्ड दिया जायेगा।
- (1) पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड: और
- (2) बाद के प्रत्येक बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि छः मास हो सकती है या अर्थदण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।
- 6. (1) यदि कोई व्यक्ति विस्फोटकों के प्रयोग से, किसी जल क्षेत्र में किसी मछली को मारता, पकड़ता या नष्ट करता है, पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

विस्फोटकों द्वारा मछली विनाश पर दण्ड



- (2) बाद के प्रत्येक बार दण्डनीय होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।
- (3) ऐसी नदी, जलधारा, खाल, तालाब, झील, जलाशय जो मछली के निवास स्थल हैं, के निद्धट विस्फोटक पदार्थ, जो मछली मारने में प्रयोग हो सकते हैं, का संग्रह दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अन्नधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।
- 7. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी जहर, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या विषैले पदार्थ, विद्युत धारा से मछली पकड़ता है या नष्ट करता है, दण्डनीय घोषित होने पर, किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अविध तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

जहर द्वारा मछली विनाश पर दण्ड

- (2) निषेघ काल में मछली मारने या पकड़ने में कोई व्यक्ति धारा 3, उपधारा (3), भाग (घ) के अधीन निर्दिष्ट निषेध अविध में जाल से मछली पकड़ने या मारने पर किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अविध दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।
- (3) संज्ञेय व गैर जमानती अपराध—इस अधिनियम की धारा 6 और 7 के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निहित हैं।
- 8. (1) कोई मछली पदाधिकारी जो मत्स्य विकास अधिकारी के पद से नीचे का न हो या पुलिस पदाधिकारी, जो सब—इन्सपेक्टर के पद से नीचे का न हो, या अन्य व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे, किसी व्यक्ति को, जो उसके विचार में मछली पकड़ने का कोई अपराध कर रहा हो या करने की चेष्टा कर रहा हो, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

अधिनियम के अधीन किये गये अपराघों के लिये बिना वारन्ट के गिरफ्तारी

- (क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे न मालूम हो; और
  - (ख) वह व्यक्ति अपना नाम और पता न बताता हो या यदि जो नाम व पता उसने बताया हो उसके ठीक होने के सम्बन्ध में सन्देह करने का कारण हो।
- (2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति उस समय तक के लिये रोक रखा जा सकता है, जब तक कि उसका नाम और पता ठीक-ठीक न मालूम हो जायः

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उतने समय से अधिक न रोक रखा जायेगा, जितना उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हो, सिवाय उस दशा के जब किसी मजिस्ट्रेट ने उसे रोकने की आज्ञा दी हो।

- (3) प्रत्येक मछली पदाधिकारी को मछली पकड़ने के अपराध के सम्बन्ध में तलाशी लेने और जांच पड़ताल करने के वही सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन सब—इन्सपेक्टर के पद के किसी पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त हैं।
- 9. किसी मछली पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब इन्सपेक्टर के पद से निम्न पद का न हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किये गये हों, अभियोग प्रस्तुत किये जाने की दशा के अतिरिक्त किसी अन्य दशा में कोई न्यायालय इस एक्ट के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

अपराध की संज्ञेयता कुछ अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार

- 10. (1) गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार किसी मछली पदाधिकारी को स्वयं उसके नाम या उसके पद से इस बात का अधिकार दे सकती है कि वह-
  - (क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विषय में ऐसा प्रमाण हो जिससे यदि उसका खण्डन न किया जाय, यह सिद्ध हो कि उस व्यक्ति ने परिशिष्ट के द्वितीय स्तम्म में उल्लिखित मछली पकड़ने का कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिये मुआवजे के रूप से कोई घनराशि ग्रहण कर लें, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण (साक्ष्य) हो और ऐसी धनराशि ऐसे पदाधिकारी को दिये जाने पर वह व्यक्ति हिरासत में हो, मुक्त कर दिया जायेगा और फिर उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की
  - (ख) किसी ऐसी सम्पत्ति को जो जब्दी के योग्य होने के कारण जब्द कर ली गई हो, बिना कोई और घनराशि लिये या उसका ऐसा मूल्य लेकर, जिसका अनुमान ऐसे पदाधिकारी ने लगाया हो, मुक्त कर दें और ऐसे मूल्य का भुगतान होने पर वह सम्पत्ति मुक्त कर दी जायेगी और उसके बारे में कोई अन्य कार्यवाही न की जायेगी।
  - (2) उपधारा (1) के वाक्य खण्ड (क) के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में गृहण की गयी धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होगी, जो परिशिष्ट के द्वितीय स्तम्भ में वर्णित अपराध विशेष के लिये उसके तृतीय स्तम्भ मुआवजे के रूप में ली जा सकती हो।

अधिनियम लागू करने के लिये चिन्हित राज्य कार्मिक

11. मत्स्य अधिनियम के निष्पादन के लिए नियुक्त किये गये सभी अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की घारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।

#### परिशिष्ट

(धारा 10 देखिये)

क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि जो मछली पकड़ने के कितपय अपराघों के लिये घारा 10 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में ली जा सकती है। क्षतिपर्ति के रूप में ली

अन्तग <i>्</i> क्रमां क	अपराध का विवरण	क्षतिपूर्ति के रूप न सा जाने योग्य अधिकतम धनराशि (रु० में)
	The state of the little storage and the state of the stat	3
1.	2 ऐसे जाल से मछली मारना, जिसके फंदे इस एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्घारित नाप से छोटे हों	एक हजार
	नियमों के अनुसार निर्धारित नाप से छाट है। बिना लाइसेंस के मछली मारना ऐसी मछलियों को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्टा करना जो इस एक्ट द्वारा निर्धारित माप से कम नाप तौल की	THE REPORT OF THE PARTY.
4.	हों मछली मारना निषेध अवधि में ऐसी जाति की मछलियों को मारना, पकड़ या बेचना या मारने, पकड़ने, बेचने की चेष्टा करना, जिन पर प्रतिबन्ध ल	ना गा पांच सौ
5.	दिया गया हो नियम के अधीन स्वीकृत विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य विधि या उपक	रण पांच सौ
6.	नियम के अधीन स्वीकृत, एक समय प्रयोग प्रयोग	पाच सा
7.	प्रयोग मछली मारते समय लाइसेंसदारों का बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को अ जालों सहित मछली पकड़ने में सहायता देने के लिये नियुक्त करना या	THE PARTY IN
8.	पर लगाना ऐसे जलाशय में मछली पकड़ना या पकड़ने की चेष्टा करना, जिसमें म मारने का निषेध हो	छली पांच सौ



	10 01	3
9.	ऐसी मछलियों को बेचने या अदला—बदली करने के लिये उपस्थित या प्रदर्शित करना, जिनका धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में	HAMP!
	निषद्ध हो	पांच सौ
10.	धारा 3 की उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (छः) के अन्तर्गत बनाये गर्ग किसी	BIGHT II.

नियम का उल्लंघन करके मछली को बाहर भेजना या भेजने की चेष्टा

11.

करना

निर्दिष्ट बाजार से अधिक मूल्य पर मछली बेचना या बेचने की चेष्टा पांच सौ

घारा (3) की उप घारा (3) के वाक्य खण्ड (ण ) के अन्तर्गत बनाये गये किसी 12. नियम का उल्लंघन करके मछली पकड़ने के उपकरण रखना

उत्तरांचल की मख्य निर्धा एवं सराग्रक नि

जनपद	उत्तरांचल में नदी/ सहायक नदी का नाम	उत्तर	पंचल में लम्बाई (कि0मी0)	माहसीर जोन (कि0मी0)	
	2		3	4	5
देहरादून	यमुना टौंस		50	30	OF Fig.
	सौंग	100	45	_	15*
उत्तरकार्श	06 2111		25	25	17 18 11 - 2
उत्तरकाश			34		34*
	यमुना		50	15 (बड़कोट	35 (बड़कोट
	brandard to tropy must	1		से नीचे)	से ऊपर)
	भागीरथी	Par	140	45 (गंगोरी	95 (गंगोरी
	(A.S. )	1		से नीचे)	से ऊपर)
	टौं स	dhay	20	Harrier State	
मोली	रामगंगा (प0)	sten	20	Section .	20
	पिण्डर	Sis	93		जार विकास -
-	अलकनन्दा		150		93*
	विष्नु गंगा	1911,5	150	- and executions	150
115,3	विरही गंगा		50	- (	150
	गरुड़ गंगा	4 :	15	SLEKE'S AS	50*
	बालखिला		15	Edin van	15
	अमृत गंगा		0.5		15*
-98	नन्दाकिनी		40		05
	निगोल		NORTH THE PROPERTY OF	al related to Stand	40
4	उपला		15	olinging by the land	15
717	अनन्तगाङ्		15	rate Hattering 201	15
प्रयाग	मन्दाकिनी		20		20
	The result come is to be		100	(बांसबारा	40
	CA CA		- 65	से नीचे)	(अगस्त्य मुनि
	काली नदी		20	an day of the	से ऊपर)
			10	POTENTIAL BENTIES OF	10
	मदमहेश्वर	0	25	10	15 m
100	कल्प गंगा		15 ·	HAR PER PER	15
	काकड़ा नदी		15		15

1 8	2	3	4	5
	authaeft	80 1 80	80	AND ASSESSED.
टेहरी	मिलंगना विकास	50	20 (मागास्था	en cities —
	मलगमा	1 to	संगम से ऊपर)	
4.0	THE PROPERTY (TIO)	37	1 37 years	the a min of air
पौड़ी	रामगंगा (पू०) अलकनंदा	50		NO WEST
		60	60	107.5
Alles	नयार (पू०)	F0	50	an sesist a co
	नयार (प0)		48	17-9 05
1116 6	गंगा -	18	18	-
	नयार नदी	The second service	अधार के (ह) च्यार पर	题 拓广约1月————————————————————————————————————
- 1	काठारा नवा	21	का विकास कर्यक संस्थान	S TO HARD IN
P	पलान नदी	Control of the last of the las	-	-
	खोह नदी	12 AF D	1019 107 1012	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-9夏 6加	मालिन नदी	15	_	
नीय जा	रेबासन नदी	12	Physics Alebert	
(offsod	मिनायता नदी	18	S A SPORTER	
- 2	नल नदी	27		-
	हियाल नदी	12 08	-	Mental Panals
	सोन नदी	20	20	pyfs =
हरिद्वार	गंगा	20	05	15/17
	सौंग	05	12	HALLER LEET
12 1 1 1 h	सुवा	12		lister
कुमायू	प्रकार अर्थ अभिन्द		60	_
नैनीताल		60	15 (काठगोदाम	institution - and a
	गौला (का		से ऊपर)	referi.i.i
	नंधौर	30	30	Sumple   Before
	भवाली नाला	20	10 (कैंची	The Table
	1 1410	83	मंदिर से नीचे)	residents
अल्मोड़ा	कोसी	58	58	the last -
અભ્યાના	रामगंगा (प0)	77	The second secon	4.00
	सुयाल	41	15 (कारा।	BEI 18 YET -
	gaici	at at	नदी संगम से	THE PROPERTY.
		31	ऊपर)	
	गगास	38	38	THE DEED -
	0	20	-	TENTONIA -
	पनार	26	26	
बागेश्वर		57	40 (कपकोट	17 (कपकोट
बागरवर	सरयू	65		से ऊपर)
	चारच ।	10 9	10	HARITAR J LIPE
	1119	40	40	-
	All Kill	20	20	
	फनगाड़	the second control of	10	Car Wille
0.4	गरुड़ गंगा		70 (सरयू संगम	22 (तेजम से
पिथौरा	गढ़ रामगंगा		से ऊपर)	ऊपर)
	9	and the same of the same		TAP TOWNS

उत्तरांचल असाधारण गजट. 27 मई. 2003 ई० (ज्येष्त ०६ 1925 शक स्प

1	2	3	4	5	
पिथौरागढ	सरयू	60	60		
rebrio no l	काली वात्र वात्र व	190	CALL STREET, S	40 (धारचूला	
	गौरी		Telegrand sheet	से ऊपर)	
or any	of the Litter and In	w nosaso 90	30 (काली	60 (मदकोट से	
SHEOKING TO		ne Otterreneal Govici		ऊपर)	
a state	धौली 16 10 lis 210 yr	00		is emit -	
- 1301	चरमागाड	14	millions ob of 5	ak aint for	
os so line	दुली गाड़	en out word 18 offo ed	on tent being on		
चम्पावत	काली	20	20	ewoqma	
emplet no	लोहावती	40	40	Marke _	
	लिधया	50	50	not itali	
ऊधमसिंह	शारदा	Talling which and the same		_	
नगर	कैलाश	10	or mywhish any pelec		
al natives w		no Avender unite AUS	III to ogedt rauge str	enterw	

अधिकांश नदियों के ऊपरी भाग में असेला प्रजाति (स्नो ट्राउट) की मछलियों के प्राकृतिक निवास—स्थल है। अकाराम के मिलाता प्रकार कार समान महिला कि मिला कि कि

\* वर्तमान ट्राउट क्षेत्र।

मरोसी लाल, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Fisheries Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 02 of 2003) for general information:

No. 183/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003 Dated Dehradun, May 27, 2003

#### NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

#### THE UTTARANCHAL FISHERIES ACT, 2003 (UTTARANCHAL ACT No. 02 OF 2003)

ACT

Jed of amount to provide for management of Fisheries and related matters in the State of Uttaranchal in Fifty-fourth year of Republic of India as follows :--

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal State Fisheries Act, 2003.

Short title. Extent and

(2) It extends to the whole of Uttaranchal State.

Commence-

(3) It shall come into force at once.

Definitions

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context--
- (1) 'Fish' includes shell fish and fin fish, turtles in all stages of its life history including aquatic plants used by fishes;
- (2) 'Fishing craft' means any boat, whether manually operated or powered, used for fishing or transport of fish;

- (3) 'Fishing gear' means any net, line rod and line, fishing tackle and other appliances used for catching fish;
- (4) 'Fishing offence' means an offence punishable under this Act or under any rule made thereunder;
- (5) 'Fishery officer' means any person whom the Uttaranchal Govt. or any other officer empowered by the Uttaranchal Govt. in this behalf, may from time to time, appoint by name or as holding an office, to carry out all or any of the purposes of this Act or to do anything required by this Act or any rule made thereunder:

Provided that no police officer below the rank of sub-inspector shall be so empowered;

- (6) 'Fixed engine' means any net, cage, trap other contrivance for taking fish, fixed in the soil or made stationary in any other way;
- (7) 'Private waters' means waters which are the exclusive property of any person or in which any person has for the time being an exclusive right of fishery, whether as owner, lease or in any other capacity and includes tanks, ponds, artificial lakes etc. excavated at the expense of the owner which have no communication in the rainy season with natural waters such as rivers, streams, canals and jhils;
  - (8) 'State Government' means the Government of Uttaranchal;
- (9) Fish Sanctuary/Protected water source means water source where due to any reason fishing is prohibited. All such water sources would be declared as prohibited areas for fishing for conservation of fish Bio Diversity after due publication in the State Gazette.
- 3. (1) The State Government may make rules for the purposes mentioned hereinafter in this section and shall under such rules declare the waters, not being private waters, to which all or any of them shall apply.
- (2) The State Govt. may, by notification in the official Gazette apply such rules or any of them to any private waters with the consent in writing of the owner thereof and of all persons having for the time being any exclusive right of fishery therein, or if the State Govt. is satisfied that the consent is un-reasonably with held without such consent. Provided that no rules under this section shall apply to any religious waters.

(3) Such rules may--

- (a) Prohibit or regulate all or any of the following matters:-
  - (1) The erection and use of fixed engines,
  - (2) The ownership of check dams constructed on rivers/tributaries would continue with the existing deptt. but the total control over their fishery management activities and monitoring the harvesting of stocks will vest with the Deptt. of Fisheries. The Deptt. of Fisheries would be authorized to allot the check dams to Self Help Groups/Fishery Co-operative Societies on lease for fishing activities and stocking,
  - (3) The dimension and kinds of fishing gears to be used and the mode of using them;
  - (b) Prohibit fishing except under license and regulate the granting of such licenses, the fees payable therefor and the conditions to be inserted therein;
  - (c) Prohibit the destruction or attempt to destroy fish by gun, spear, bow and arrow or like instrument or pollution of waters by trade effluents;
  - (d) Prescribe seasons in which the killing or catching or sale of any fish of any prescribed species shall be prohibited;
  - (e) Prescribe a minimum size or weight below which no fish or any prescribed species shall be caught, killed or sold;

Power to make rules for prohibition and licensing of fishing in selected waters



- (f) Prohibit fishing in any specified water for specified period;
- (g) Regulate the export of fish outside any area or areas and price at which fish may be brought or sold in any specified markets of all or any specified species;
- (h) Require the owner, mortgagee with possession or lease of any tank or jhil for the stocking of such tanks or jhils with any class or classes of fish:
- Fishing shall be prohibited during breeding seasons in Rivers/tributaries and other breeding places;
- Progressive fish farmers would be rewarded at the State level;
- (k) Encouragement and training would be provided to communities like Bengalis, Tribals, Machhua, Nishads, Kashyaps etc. who earn their livelihood from fisheries;
- (I) The Fisheries Deptt. would provide facilities to fish farmers for their economic and social upliftment by way of making societies/federa-
- (m) The deptt. would provide facilities to progressive fish farmers under various schemes by Central/State Govt. viz. bank loans, pond constructions, fish seeds, fish feed, training etc.;
  - (n) Regulate the marketing of fish and also purchase and use of fish for preservation or for the manufacture of any fish products;
  - (o) Regulate the possession of fishing craft and gear within such specified limits as may appear to be necessary; and
- (p) Regulate the transport of all fish or of certain species or fish products within specified limits as may appear to be necessary.

Such rules may, among other matters --

- (a) Prescribe the routes by which fish alone or fish products may be imported into and exported from the State of Uttaranchal;
  - (b) Prohibit the import, export or transport within specified limits of fish without a pass from a fisheries officer or a person duly authorized to issue the same or otherwise than in accordance with the condi-
  - (c) Prescribe the form of such passes and provide for their issue, production and return; and
  - (d) Provide for the examination of fish in transit within specified limits.
- (4) In making any rule under this section the State Govt. may provide for-
  - (a) Seizure, removal and forfeiture of any apparatus erected or used for fishing in contravention of the rules;
  - (b) Forfeiture of any fish taken by means of any such apparatus; and
  - (c) Confiscation of any consignments of fish held or transported in con-
- (5) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprise in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following. The assembly makes any modification in rule or decides that the rule should not be made. The rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be prejudice to the validity of anything previ-

Penalties

Power to

of fish

12

- - which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; and
  - (2) On every subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Punishment for destruction of fish by explosives

- 6. (1) If any person uses any dynamite or other explosive substances in any water with intent thereby to catch or destroy any fish, that may be therein, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.
- (2) Whoever, having already been convicted of an offence under sub-section (1) is again convicted thereunder, shall, on every subsequent conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five thousand rupees.
- (3) If a person is found to be in possession of a dynamite or any other explosive substance for the purpose of killing the fish near or in the vicinity or on the bank of a river, rivulet, khad, pond, lake, reservoir which are habitated by the fishes, shall unless he explains satisfactorily that his possession or control over such a dynamite or the explosive substance was for a lawful object, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.

Punishment for destruction of fish by

- 7. (1) If any person puts any poison, bleaching powder, lime or noxious material and electric current into any water with intent thereby to catch or destroy any fish, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine of five thousand rupees or with both.
- (2) Punishment for killing or catching fish during prohibited season. If any person kills or catches fish with a net during the season, in which killing or catching of fish is prohibited under any rule framed under clause (d) of sub-section (3) of section 3, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.
- (3) Offences to be cognizable and non-bailable--Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under section 6 and 7 of this Act shall be cognizable and non-bailable offences. 8. (1) Any fisheries officer not below the rank of Fisheries Department Officer,
- police officer not below the rank of the sub-inspector, or any other person specially empowered by the State Government in this behalf, may arrest without any warrant Arrest without any person committing or attempting to commit, in his view a fishing offencewarrant for offence under this Act
  - (a) If the name and address of the person are not known to him; and
  - (b) If the person declines to give his name and address, or if there is reason to doubt the accuracy of the name and address, if given.
  - (2) A person arrested under this section may be detained until his name and address have been correctly ascertained:

Provided that no person so arrested shall be detained longer than it may be necessary for bringing him before a Magistrate, except under the order of a Magistrate for his detention.

poisoning



- (3) Every fishery officer shall have the same powers of search and investigation relating to a fishing offence as a police officer of the rank of the Sub-Inspector has under the code of Criminal Procedure, 1973.
- 9. No court shall take cognizance of any offence under this Act, except the complaint of a fishery officer or of a police officer not below the rank of the Sub-Inspector or any other person or class of persons authorized by the State Govt. in

Cognizance of offences

10. (1) The State Govt. may, by notification in the official Gazette, empower a fishery officer by name or by virtue of office--

Power to compound certain offences

- (a) to accept from any person concerning whom evidence exists, which if unrebutted, would prove that he has committed any fishing offence as described in the second column of the Schedule, a sum of money by any of compensation for the offence with regard to which such evidence exists and on the payment of such sum to such officer, such person, if in custody, shall be released and no further proceedings shall be taken against him;
- (b) to release any property that has been seized as liable to confiscation without further payment or on payment of the value hereof as estimated by such officer and on the payment of such value such property shall be released and no further proceedings shall be taken
- (2) A sum of money accepted as compensation under clause(a) of subsection (1) shall in no case exceed the amount acceptable as compensation in the third column of the Schedule for the particular offence described in the second
- All persons empowered to exercise powers and perform duties under this Act or rules made thereunder shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of Indian Penal Code.

Public servants indemnified for acts done under this Act

#### THE SCHEDULE

(See Section 10)

Maximum amount acceptable as compensation for certain fishing offences under section 10.

SI.	Donori- ti	nces	under section 10.  Maximum Amount
1	Communication of the Communica		acceptable (in Rs.
1.	Fishing with a new net having a smaller mesh than that prescribed under the rules made under the Act		3
2.	Fishing without a license		One thousand One thousand
3.	Killing or catching or selling or attempt to kill, catch or sell fish of a size or weight less than the standard prescribed under this Act		beld
4.	of a prohibited species during a close species.	in sp	Five hundred
Ď.	Fishing or attempting to fish with any gear or method other than permitted under the rules	89/16	Five hundred
	Using at any one time more than two of either or any of the gears permitted under the rules		Five hundred
	License holders employing or engaging Non-licensees to help them with their Nets, while fishing		Five hundred
	Fishing or attempting to fish in prohibited water	137	Five hundred
			Five hundred

14	उत्तरीचल असावारन नजन, य	3	
1	2		IN A STATE OF
9.	Offering or exposing for sale or barter any fish, the sale of which is prohibited in any specified area by a notification issued under section 4 of the Act	106 1.26 2.11	Five hundred
10.	Exporting or attempting to export fish in contravention of any rule made under clause (1) sub-section (3) of section 3 of the Act	anile	One thousand
11.	Selling or attempting to sell fish for price above the specified market		Five hundred
12.	value Possessing fishing craft and tackles unauthorisingly in contravention of clause (o) of sub-section(3) of section 3 of the Act	seoil seoil	Four hundred

# IMPORTANT RIVERS AND THEIR TRIBUTARIES IN UTTARANCHAL SHOWING MAHSEER AND TROUT ZONES

Distt.	River/stream in Uttaranchal	Stretch (length in Uttaranchal) (k.m.)	Mahseer zone (k.m.)	Trout zone (k.m.)
	2	3	4	5
1	Sand and Sand Street,	50	30	BOLG LAS
Dehradun	Yamuna	45	(Bith Ash unoughne and	15*
	Tons	25	25	-
	Song	Lossen market and the later of	Agestic ad Rena, Vine	34*
, wdrashi	Asaiganga	34	i = (D = troom	35 (Upstream
Uttarkashi	Yamuna	50	15 (Downstream	Barkot)
	Tarriaria	DEN HERMON DEN HOLL OF	Barkot)	95 (Upstream
	Bhagirathi	140	45 (Downstream	Gangori)
	Bhaghain	Pages sometification	Gangori)	20
	Total	20	-	20
	Tons	20	Parphyodura Tuba est i	Andrew in the last
Chamoli	Ramganga (w)	93	Used Landbridge And Miles	93*
g/ng V162	Pinder	150	PER OF LEGION Popular	150
+ Albertaber	Alaknanda		and the later of the	150
With the selection	Vishnuganga	150		50*
	Virshiganga	50		15
	Garurganga	15		15*
	Pralkhila	15	and the same of th	5
of colla	Amritaganga	n de la certain de	District	40
	Nandakini	40	deltalines6	15
mjern/k-m	Nigole	15		15
	Upla	15		20
	Anathgad	20	Le a primari par we	40 (Downstream
	0900	100	(Downstream	Augustmun
Rudraprayag	Mandakini		Banswara)	Augustinuii 10
	100 m - 40	10	-	15
	Kali nadi	25	10	15
	Madmaheshwar	15	THE RESERVE TO STREET, ST. ST.	15
	Kalpganga	15	Date of the Parket	15
	Kakra nadi		80	AND STREET
Tehri	Bhagirathi	80	20 (Upstream	Saluta di Richa
TO THE PARTY	Bhilangana	50	from confluence	refreshing to the street
	THE RESERVE THE	at pale to tem to tem	If Officerite	a bright timegn
	Control of the last	A SHEET BOY STORY	with Bhagirathi)	The second of the
	2(5)	37	37.	THE STATE OF THE PARTY OF
Pauri	Ramganga (E)	50	50	Series -
	Alaknanda	60	60	STEETING HONOR
	Nayyar (E)	50	50	Tell first type
	Nayyar (W)	48	48	Francisco Constitution
	Ganga	te leve à	ales Control Paris	

-	उत्तरांचल असाधारण	जिट, 27 मई, 2003	ई0 (ज्येष्ठ 06, 1925 श	क सम्वत्) 15
1 3	2	3 0	4 8	
Pauri	R. Nayyar	18		5
	Kothari nadi	21	10	splunt - mag-andus
	Plan nadi	21		tleX tawaqman()
	Khoh nadi	12	in the	Welful -
	Malin nadi	12	10	Virtue:
	Rewason nadi	15	12	David Charlements C
	Minayata nadi	12	- F	Balliest Span
	Nalnadi	18	-	-
	Hiyal nadi	27	-	-
	Son nadi	12		
Hardwar	Ganga	The state of the s	Spyre state you sit? to use	io sim reordina
	Song	20	20	no enter de la como
	Suwa	5	5	- 1
Kumaon	Cuna	12	12	7
Nainital	Kosi	-		
	Gaula	60	60	_
	Saula	50	15 (Upstream	_
	Nandour		Kathgodam)	
	Nandodi	30	30	_
	Bhowalinala	-		s
	Driowalifiala	20	10 (Downstream	_
			from Kainchi	
	100		temple)	
Almora	Kosi	58	58	
	Ramganga (W)	77	77	-
	Suyal	41	15 (Upstream	_
			confluence with	-
			R. Kosi)	
	Gaggas	38	38	
	Vinod	20	30	-
	Pannar	26	26	-
Bageshwar	Saryu	57		
		3/	40 (Downstream	17 (Upstream
	Lahur	40	Kapkot)	Kapkot)
	Gomti	10	10	_
	Phangar	40	40	
-	Garurganga	20	20	_
Pithoragarh		10	10	-
. moragam	Ramganga	92	70 (Upstream from	22 (Upstream
	BENEFIT THE		confluence with	Tejam)
	te efficient month		Saryu at	rojarrij
	Conu		Ramganga)	
	Saryu	60	60	
	Kali	190	150	40 (Upstream
				Dharchula)
	0			Driai Criula)
	Gori	90	30 (Upstream	(Upstream
			confluence with	Madkot)
	The late of the la		Saryu of	iviaukot)
	Di "		Ramganga)	
1 4 1 1 1 1	Dhaouli	80	- turigariga)	
tar Tar	Charmagad	14 (Upstream	5	-
	AL DE LO MEN	from confluence	5	-
	1 (195)	with R. Kali)		
	( (4)-10-10	mark. Rail)	12-021 \ (bush) a 193-29	
		Variable of the second		

16 उत्तरांचल असाधारण गजट, 27 मई, 2003 ई0 (ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्)

118	2	3 9	4	5
Pithoragarh	Thuligad	18	18 several S	- 17.6°
Champawat	Kali	20	20	_
- 1030	Lohawati	40	40	_
100	Ladhiya	50	50	-
Udhamsingh	Sharada	10	10	-
nagar	Kailash	10	ban poersway	_
LOSS .			then alseyshill	
D 200		Dr. Charles and Charles	Ibanjeli Propinski politika	

Almost majority of the reverine systems in Uttaranchal region harbour Snow trout fishery especially in the upper reaches.

\* Existing trout waters.

By Order,

BHAROSI LAL, Sachiv.